# राजस्थान सरकार
## निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/ 15405-15421 दिनांक :– 31.01.13

**आदेश संख्या 275/ 2012–13**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/– (ग्यारह हजार एक सौ रूपये ) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान **क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर पर दिनांक 04.02.2013 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें।** प्रशिक्षण अवधि 16 सप्ताह होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षाणीर्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी ।

| क.स. | मेरिट कमांक | रोल नम्बर | नाम/पिता का नाम | श्रेणी | जन्म तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 15 | 718328 | वेद प्रकाश दाधीच/गोपाल लाल दाधीच 211, गांधी मार्ग, गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड, जयपुर–302002 | G.E | 13.12.1971 |
| 2. | 19 | 300225 | हेमन्त कुमार व्यास/ बसन्त कुमार व्यास डी–263, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर–334004 | G.E. | 17.11.1983 |
| 3. | 20 | 101394 | दीनदयाल गुप्ता/ टीकम चन्द गुप्ता जी–17, मीरशाह अली कॉलोनी, अजमेर | G.E. | 10.09.1973 |
| 4. | 23 | 501105 | किशन खण्डेलवाल / हेमराज खण्डेलवाल 1ग 7 टीचर्स कोलानी, केशवपुरा कोटा | G.E. | 01.06.1981 |
| 5. | 26 | 724061 | नरेश कुमार/बाबू लाल, 12, चेतक मार्ग, जे.के. लोन अस्पताल के पास, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर – 302004 | G.E. | 30.05.1984 |
| 6. | 44 | 304305 | संदीप पाण्डिया/सीताराम पाण्डिया वार्ड नं0 29, कालुबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर–331803 | G.E. | 13.04.1986 |
| 7. | 80 | 202301 | विनोद कुमार गर्ग/मोहन लाल गुप्ता मावे वालो की बगीची, प्लाट न0 –17, हरि बिहार कॉलोनी, पुरानी ट्रक यूनीयन, करौली | G.E. | 15.05.1976 |
| 8. | 332 | 300233 | सुरेश कुमार स्वामी / देव किशन स्वामी विश्वकर्मा गेट, अमर पेन्टर के पास बीकानेर | O.B.C. | 16.05.1978 |
| 9. | 338 | 702494 | मुकेश कुमार बैरवा / मांगी लाल बैरवा ढाणी राजवास्या की, ग्रा0पो0 बनियाना तह0 दौसा, जि0 दौसा– 303306 | S.C. | 16.11.1984 |

उपरोक्त अभ्यार्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक,सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूपानुसार एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा। बिना उपरोक्त शपथ–पत्र के उनकी उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इस अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि ) देय नहीं होगें ।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
9. उक्त नियुक्तियॉ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहणकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्लित के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/ 15405-15421 दिनांक :– 31/01/13

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री............................................................................................................................................................................................................................................................................................... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. **उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर** को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में एक अनुबन्ध पत्र/ बाण्ड एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति रिपोर्ट स्वीकार करें, तथा इसे निदेशालय को (चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) प्रेषित करावें।
6. विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक।
8. गोपनीय शाखा।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक

**BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER**

This bond is made on the ________ date of 2013 by ____________ Son of Shri ______________________ resident of ____________ appointed to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and ____________ Son of Shri ____________ resident of ____________ (First Surety); and ____________ Son of Shri ____________ resident of ________________ (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.
And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of ______ weeks.
And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.
And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

**Now this deed witnesses as follows:-**

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursurance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the First Surety
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the Second Surety
Witness (I)
Witness (II)

Accepted
D.T.A